न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रमेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 100/2023
निर्णय दिनांक : 03.01.2024
GCMS NO : 2023/184 दायर दिनांक – 22.12.2023

राजेन्द्र बीरडा पुत्र भागीरथराम बीरडा जाति जाट बीरडा निवासी ग्राम जीली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

................वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

................प्रतिवादी

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री हरीश गुलेरिया एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 297 रकबा 3.3635 हैक्टेयर, खसरा संख्या 30 रकबा 0.1264 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 9 तादादी 11.4437 हैक्टेयर वाके रोही जीली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है, जिसमें वादी का नाम राजूराम अंकित है जबकि वादी का नाम अन्य दस्तावेज उच्च माध्यमिक परीक्षा 2003 की अंकतालिका, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि दस्तावेजात में वादी का नाम राजेन्द्र बीरडा अंकित है। उक्त भूमि में सहवन व भूलवश राजेन्द्र बीरडा के बजाय राजूराम नाम अंकित हो गया है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजात में नाम राजेन्द्र बीरडा है। वादी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी को आवश्यक हो गया कि वोह वादगत खेतों के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम राजूराम की बजाय राजेन्द्र बीरडा संशोधन कराये जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

यह कि वादी का वाद राजस्व रिकॉर्ड में नाम संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही जीली तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है इसलिए वाद की सुनवाई करने का श्रवणधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमान्जी के न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त किया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम राजूराम पुत्र भागीरथ दर्ज है जवकि वादी के दस्तावेजों में नाम राजेन्द्र बीरडा पुत्र भागीरथ है। राजूराम व राजेन्द्र बीरडा दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजूराम पुत्र भागीरथ के स्थान पर राजेन्द्र बीरडा पुत्र भागीरथ किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वादी के दस्तावेजात यथा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2003 की अंकतालिका, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, पासपोर्ट, ड्राईविगं लाईसेन्स की प्रतिलिपि आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम राजेन्द्र बीरडा पुत्र भागीरथ अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 297 रकबा 3.3635 हैक्टेयर, खसरा संख्या 30 रकबा 0.1264 हैक्टेयर व खसरा संख्या 9 रकबा 11.4437 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 14.9336 हैक्टेयर रोही ग्राम जीली में दर्ज राजूराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी जीली खातेदार के स्थान पर राजेन्द्र बीरडा पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी जीली खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 03.01.2024 को सर इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * सुजानगढ़ जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

रमेश कुमार
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**
व इजलास **श्री रमेश कुमार आर.ए.एस**

राजेन्द्र बीरडा बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 100 सन 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री हरीश गुलेरिया एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है

कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 297 रकबा 3.3635 हैक्टेयर, खसरा संख्या 30 रकबा 0.1264 हैक्टेयर व खसरा संख्या 9 रकबा 11.4437 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 14.9336 हैक्टेयर रोही ग्राम जीली में दर्ज राजूराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी जीली खातेदार के स्थान पर राजेन्द्र बीरडा पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी जीली खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज ....मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **03 माह 01 . 2024**

दस्तखत ....
ओहदा ....
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये